

कार्यालय ज्ञाप

कृपया प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 21.09.2017 के अनुसार जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-5(1) के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकरण में आवेदकों से प्रार्थना पत्र प्राप्त करने व सूचना प्रदान करने हेतु जन सूचना अधिकारी तथा अधिनियम की धारा-19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील की सुनवाई हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को नामित किये जाने का प्राविधान है।

2— उपरोक्त सम्बन्ध में श्री अरविन्द कुमार मौर्य, पुलिस अधीक्षक, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 को जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त अपीलों की सुनवाई हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है।

मुख्यालय
(बी0डी0 पॉल्सन)
अपर पुलिस महानिदेशक / निदेशक,
यातायात एवं सड़क सुरक्षा,
उत्तर प्रदेश

यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय भवन (सिनेचर बिल्डिंग)

फोन: 0522-2390468 फैक्स: 0522-2724054

चतुर्थ तल, टावर-4 गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ

ईमेल— dirtraffic@nic.in

पत्र संख्या: डीटी-854-2017 / 1059

दिनांक: लखनऊ: अप्रैल 10, 2024

प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अपर पुलिस अधीक्षक / जनसूचना अधिकारी, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रभारी आई0टी0 सेल, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से कि उक्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि: प्रभारी डिस्पैच, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से कि उक्त विवरण यातायात निदेशालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।